GCMJ - 2024/136

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

मुकदमा नम्बर :– 19/2024 सुरेश कुमार बनाम शिशपाल

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	03/7/24	वकील प्रार्थी उपस्थित होकर प्रा.पत्र 151 CPC का पेश किया। रिपोर्ट हेतु जुमें हो प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को तलबी कि जावे। पत्रावली दिनांक 17/7/24 को पेश हो।	
	17/07/24	व. प्रार्थी उप०। अप्रार्थी की रजि.एडी. रसीद पेश की। जो शामिल है। पत्रावली बाद तलबी दिनांक 18/7/24 को पेश हो।	
	18/7/24	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैस / कार्य स्थिगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 25/7/24 को पेश हो।	
	25/7/24	पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रा.पत्र 151 CPC का जवाब न देकर सीधी बहस हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी के विरासत नामान्तरण खुलवाने व के.सी.सी. लोन लेने से हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन प्रार्थी को एक त्याग पत्र करवाने की अनुमति प्रदान की जाती है तो पक्षकारों के मध्य वाद बहुलता बढ़ जायेगी। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज किया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने	विरासत व KCC के लिए No objection

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

बनाम

मुकदमा नम्बर :– /

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
		बहस में प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। अप्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी के प्रा.पत्र, दस्तावेजात व मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल वाद तकसीम व स्थायी निषेधाज्ञा का है जिसमें प्रार्थी पक्षकार नहीं है तथा न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 10/11/2009 को दिनांक 11/06/2018 को ता-फैसला वाद मन्सूख किया गया है जिससे प्रार्थी के विरासत नामान्तकरण खुलवाने व हक त्याग पत्र करवाने व के.सी.सी. लोन को चेंज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इससे पक्षकारों के मध्य वाद बहुलता बढ़ने की आशंका है अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र 151 CPC खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)	